झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड
हरमू, राँची, झारखण्ड - 834002
Phone: 0651-2241929, e-mail : md.jshb@gmail.com

पत्रांक :- 05/आ0-59/2010..558/3117........ राँची, दिनांक 21/09/2020

प्रेषक,

भू-सम्पदा पदाधिकारी,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, राँची।

सेवा में ,

डॉ0 नेहा बजाज,
उच्च आय वर्गीय भूखण्ड सं0- एच-5,
हीरापुर आवासीय कोलोनी, धनबाद।

विषय :- हीरापुर, धनबाद में आवंटित उच्च आय वर्गीय भूखण्ड सं0- एच-5 के बगल स्थित अतिरिक्त छिटपुट भूखण्ड, रकवा 1320 वर्गफीट का अंतिम हस्तान्तरण की अनुमति के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक कार्यपालक अभियन्ता के पत्र संख्या 102 दिनांक 11.09.2019 के प्रसंग में कहना है कि झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड द्वारा हीरापुर में आवंटित उच्च आय वर्गीय भूखण्ड सं0- एच-5 के बगल स्थित अतिरिक्त छिटपुट भूखण्ड, रकवा 1320 वर्गफीट की कुल औपबंधिक कीमत 42,90,000.00 रूपया होता है। उक्त औपबंधिक कीमत के आधार पर आपको अंतिम हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है। उपर्युक्त कुल कीमत के अनुसार उचित कीमत के स्टाम्प पेपर पर (अतिरिक्त दो प्रतियों में) में एवं एक प्रति रोयल एक्जक्यटिव बॉंड पेपर पर अर्थात चार प्रतियॉं नमूना के अनुरूप टंकित कराकर एवं स्थल प्लान की चार प्रतियॉं ट्रेसिंग क्लौथ पर हस्ताक्षरित कर दाखिल करें ताकि अंतिम हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सके। इसके अलावे ग्राउन्ड रेंट के मद में वर्ष 2020 का 250/- रू0 के दर से अर्थात् कुल 250/- रूपया जमा कर प्रमाण प्रस्तुत करें।

2. अंतिम हस्तांतरण/निबंधन के समय निम्नलिखित अतिरिक्त कागजात भी समर्पित करें :-
   (क) भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (अभिप्रमाणित प्रतिलिपि)
   (ख) पारिवारिक राशन कार्ड की अभिप्रमाणित प्रति।
   (ग) आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन/पहचान पत्र की अभिप्रमाणित प्रति।
   (घ) संबंधित कार्यपालक अभियन्ता से तीन अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज की फोटो अभिप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ।
   (ङ.) उपरोक्त क, ख, ग में कोई एक कागजात अवश्य दाखिल करें।

3. क्रम '1' एवं '2' के कागजातों के साथ दो गवाह लेकर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हस्ताक्षर करें।

विश्वासभाजन

21/9/20

भू-सम्पदा पदाधिकारी

21/9/2020